

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

एफडीआई प्रस्तावों को मंजूरी

Posted On: 09 AUG 2017 6:36PM by PIB Delhi

सरकार पूर्ववर्ती विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के जरिए विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रस्तावों पर विचार करती रही थी और इसके साथ ही मंजूरी रूट के जिए निर्णय लेती रही थी। विस्तारित एफडीआई नीति और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत सरकारी मंजूरी की आवश्यकता वाले 11 अधिसूचित क्षेत्रों/गितविधियों में विदेशी निवेश के लिए सरकारी स्वीकृति देने की जिम्मेदारी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को सौंपी गई है। इसके बाद एफडीआई प्रस्तावों की प्रोसेसिंग के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी 29 जून, 2017 को जारी कर दी गई है जो fifp.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में 99 एफडीआई प्रस्ताव लंबित हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

मंत्रालय/विभाग का नाम	प्रस्तावों की संख्या
आर्थिक मामलों का विभाग	13
फार्मास्यूटिकल्स विभाग	14
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	48
दूरसंचार विभाग	8
रक्षा उत्पादन विभाग	4
गृह मंत्रालय	5
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	4
अंतरिक्ष विभाग	2
वित्तीय सेवा विभाग	1
कुल	99

एसओपी के मुताबिक, जब भी कोई प्रस्ताव हर दृष्टि से पूरा हो जाता है, जिसमें प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख के बाद 6/8 हफ्तों से ज्यादा का समय (ऐसे मामलों में जहां सुरक्षा मंजूरी की दृष्टि से गृह मंत्रालय की टिप्पणियां मांगी गई हैं) नहीं लगना चाहिए, तो उसके बाद सक्षम प्राधिकारी अगले दो हफ्तों के भीतर ही निर्णय लेने के लिए प्रस्ताव की प्रोसेसिंग कर देता है तथा इस बारे में आवेदक को जानकारी भी दे दी जाती है।

इस आशय की जानकारी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी।

वीके/आरआरएस/डीके - 3322

(Release ID: 1499038) Visitor Counter: 12









in